(277) (401)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किल कोर्ट रीवा (म0प्र0)

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

आवेदक अभिभाषक श्री अशोक त्रिपाठी एड. द्वारा पेश / 16.5.13

R.2459-II/13

1- बिपिन चतुर्वेदी तनय श्री दिवाकर चतुर्वेदी उम्र 34 साल, पेशा-नौकरी निवासी ग्राम बढ़ैया टोला सतना शहर जिला सतना (म0प्र0)-

---निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1- श्रीमती सावित्रीदेवी गोयल पत्नी श्री रामकुमार गोयल, निवासी एच.आई.जी.-1 सेमरिया चौक सतना तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म0प्र0)-

2- म0प्र0 शासन द्वारा पटवारी हल्का सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना (म0प्र0)-

----अनावेदकगण

अपर कलेक्टर, जिला सतना द्वारा प्रकरण क्रमांक 10/स्वप्रेरणा निगरानी /2012-013 में पारित आदेश दिनांक 12/04/2013 के विरुद्ध निगरानी याचिका ।।

22.6.13

मान्यवर,

निगरानी के आधार :-

निगरानीकर्ता का विनम्र निवेदन नीचे लिखे अनुसार है:-

1- तहसीलदार, तहसील रघुराजनगर जिला सतना के द्वारा अपने -न्यायालय में पंजीबद्ध सीमांकन प्रकरण क्रमांक 25ए/2012 /2012 -013 में दिनांक 21/02/2013 को आदेश पारित करते हुये सीमांकन प्रतिवेदन की पुष्टि की गयी थी। उक्त सीमांकन प्रकरण में ग्राम बदखर, स्थित आराजी नंबरी 236/1, 236/ख, 237, 237/661/1, 237/661/2, 238/1, 239, 239/623, 240/1, 248, 249, 250, 253/1, 253/2, 271/2, 272/2, 273/2, 274, 275, शामिल थी, उक्त सभी आराजी एक ही परिवार के सदस्यों के नाम होने तथा मौके पर आपस में मिली हुई होने के कारण एक साथ सीमांकन किया जाकर सीमांकन प्रतिवेदन, फील्डमैप, स्थल पंचनामा, तथा सूचना पत्रक तहसील न्यायालय में पेश किया गया था। जिसमें विधिवत सुन--वाई उपरांत ही सीमांकन की पुष्टि करते हुये दिनांक 21/2/2013 को -आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश से अन्य सभी सीमांकन के पक्षकार

(277)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R. 2459- दो/13 जिला– सतना

विपिन चतुर्वेदी विरूद्ध श्रीमती सावित्री देवी

(1)	(2)	(3)
17-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री अशोक सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~कलेक्टर~~/ अपर कलेक्टर, जिला........ के प्रकरण क्रमांक 10/ व्या-निगरा/12-13 में पारित आदेश दिनांक 12-4-13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 16-4-19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	